इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2011—फाल्गुन 6, शक 1932

विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. 4452/वि. स./विधान/2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 25 फरवरी, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०११

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह दिनांक २७ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा ५ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

बस यात्रा भत्ता.

''५ प्रत्येक सदस्य को तथा धारा ६-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार प्रत्येक व्यक्ति को पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से बस यात्रा भत्ता दिया जाएगा.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों को मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क अभिवहन का उपबंध था. निगम की बसों का संचालन बंद होने के कारण, नि:शुल्क अभिवहन के स्थान पर बस यात्रा भत्ते का उपबंध किया जा रहा है. अतएव, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित किया गया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १४ फरवरी, २०११

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

वित्तीय ज्ञापन

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०११ के खण्ड २ में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये ५९,८५,०००/- (रुपये उनसठ लाख पचासी हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.